The subsidy outgo on foodgrains would reduce by about Rs. 300 crores during the current financial your and by about Rs. 2200 crores during the financial year 1999-2000. The savings in sugar subsidy would be Rs. 34.8 crores in 1998-99. and Rs. 278 crores in 1999-2000.

The price of urea has been increased from Rs. 3660 per MT to Rs. 4000 per MT from 29.1.1999. The increase in the price of urea is likely to reduce the urea subsidy by Rs. 340 for each MT of urea sold after 29.1.1999.

(c) The CIPs of wheat and rice have been revised w.e.f 29.1.1999 for APL families only to contain the food subsidy budget to a manageable level. Since the CIP for BPL families have been reverted to the earlier prices existing prior to 29.1.1999, it will not affect the weaker sections of the society.

It is not possible to entirely remove the subsidy on foodgrains issued under Targetted P.D.S., specially in view of supplying wheat and rice to BPL families at highly subsidised fates.

**हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा दिया गया पामोलीन का ठेका**

507. **श्री रामजीलाल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" के "पामोलीन का ठेका बिना निविदा निकाले दागी कम्पनी को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा ऐसी कम्पनी को ठेका दिए जाने के क्या कारण थे और यह ठेका किसके निर्देश पर और किस दर पर दिया गया था;

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

**खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव):** (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान वजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए सरकार की ओर से दिल्ली में पामोलीन की पैकिंग करती है। दिल्ली में हाल में खाद्य तेल की कमी के कारण, उपभोक्ता पैकटों में आपूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने प्राइवेट पैकिंगकर्ताओं के साथ करार किया था। दिल्ली सरकार जिसकी ओर से तेल की पैकिंग की जा रही है, द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में यह करार किया गया था। चूंकि हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड की क्षमता सीमित थी, इसलिए उनसे प्राइवेट पैकिंगकर्ताओं के साथ प्रबंधों में तेजी लाने के लिए कहा गया था। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर प्रशनगत कम्पनी अर्थात् सूरज वनस्पति लिमिटेड ने हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑल्स कारपोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया था। करार के अधीन पैकिंग की दर एक लिटर के पाउच के लिए 5.68 रुपये और 5 लिटर के जार के लिए 39.03 रुपये थी। तथापि, इस करार को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका।

(ग) और (घ) चूंकि यह व्यवस्था दिल्ली सरकार जिसकी ओर से तेल की पैकिंग की जा रही है द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में की गई थी, इसलिए स्वयंमेव ऐसा करार करने के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

**Allocation for Alternative System of Medicines**

508. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what allocation was made during the last plan for the alternative systems of medicine as compared to Allopathy; and

(b) what steps Government are taking to increase India's share in the world trade of herbal medicines?